

होटल प्रबंध संस्थान खानपान प्रबंध व पोषाहार वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

1. हमने होटल प्रबंध खानपान प्रौद्योगिकी एवं पोषण आहार संस्थान का 31 मार्च 2019 की संलग्न बैलेन्स शीट का लेखा परीक्षण किया है व उक्त दिनांक तक का आय-व्यय का लेखा अधिकार में लिया है। इस वित्तीय विवरण की जिम्मेदारी संस्थान प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व केवल हमारे लेखा परीक्षक के आधार पर केवल अपना अभिमत देना है।
2. हमने अपना ऑडिट केवल ऑडिट स्टैंडर्ड के आधार पर किया जो भारत में स्वीकार्य हैं हमने अपना ऑडिट उन मानक के आधार पर उचित आश्वासन पाने के लिये कि वित्तीय विवरण सामग्री से बेमेल न हो। ऑडिट परीक्षण के आधार पर राशि के समतुल्य साक्ष्य, व वित्तीय लेखा में स्पष्ट उल्लेख के आधार पर किया जाता है। ऑडिट में लेखांकन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है व प्रबंधक के महत्वपूर्ण अनुमानों को सम्मिलित किया जाता है व समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारा ऑडिट अभिमत के लिये एक उचित आधार प्रदान करता है।
 - (i) तय परिसम्पत्ति रजिस्टर को सुचारु रूप से नहीं बनाया रखा है।
 - (ii) अनुसूची के टिप्पणी नंबर 10 के अनुसार - 16 मूल्यवान फंड को इसी निवेश द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

हमारी उपरोक्त टिप्पणी का आधार

3.
 - (i) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए जरूरी है।
 - (ii) हमारे विचार से कानून द्वारा आवश्यक खातों की उचित किताबें संस्थान द्वारा अब तक पुस्तक हमारी परीक्षा से दिखाई देती हैं।
 - (iii) इस रिपोर्ट के साथ बैलेन्स शीट, आय और व्यय खाते की किताबों के साथ अनुबंध अनुसार निपटये गये।
 - (iv) हमारे विचार और हमारी जानकारी के अनुसार हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कहा गया खाता महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़ गया है और उस पर टिप्पणी के अधीन भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और निष्पक्ष - स्पष्टीकरण देता है।
 - (a) 31 मार्च, 2019 को संस्थान के बैलेन्स शीट के कारोबार मामले में; और
 - (b) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते के मामले में।

एस.एल. खाब्या एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
एफआरएन 000004 सी

सही
सीए सुमित खाब्या, भागीदार
नंबरशिप नं. 414887

सही
प्राचार्य
होटल प्रबंध संस्थान
1100 क्वार्टर्स, भोपाल

होटल प्रबंध खानपान प्रौद्योगिकी एवं पोषण आहार संस्थान, भोपाल
31 मार्च 2019 को व्यापारिक धिद्ध

(राशि रूपयों में)

जवाबदारी	निर्धारित कार्यक्रम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस /केपिटल फंड एवं देयताएं	I	13,728,011.33	8,171,195.59
आरक्षण और अधिशेष	II	23,935,006.15	23,550,622.16
निर्धारित/बंदोबस्त निधि	III	130,290,442.08	111,873,876.34
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	IV	90,919,227.54	103,179,290.13
Total		258,872,687.10	246,774,984.24

जवाबदारी	निर्धारित कार्यक्रम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अचल संपत्तियां	V	96,670,814.82	93,666,242.99
निवेश	VI	-	-
वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिम	VII	162,301,872.28	153,108,741.24
आरक्षण और अधिशेष (यत ऊसंदबद्ध)	II	-	-
Total		258,872,687.10	246,774,984.23

अनुसूची XVI के हिसाब से महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और नोट्स है।

इस तारीखा पर हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.एल. खाब्या एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एफआरएन 000004 सी

सही
सीए सुमित खाब्या, भागीदार
मैबरशिप नं. 414887
स्थान : भोपाल
दिनांक : 31.7.2019

सही
प्राचार्य
होटल प्रबंध संस्थान
भोपाल



होटल प्रबंध खानपान प्रौद्योगिकी एवं पोषण आहार संस्थान, भोपाल

आय और व्यय लेखा 31 मार्च 2019 पर समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए

(राशि रूपयों में)

जवाबदारी	निर्धारित कार्यक्रम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय:			
बिक्री/सेवा से होने वाली आय	VIII	49,300.00	51,950.00
अनुदान/सब्सिडी			
शुल्क/अंशदान	X	61,856,039.95	55,666,152.00
निवेश से होने वाली आय	XI	-	-
अर्जित व्याज	XII	9,348,973.68	8,178,038.45
अन्य आय	XIII	16,419,273.16	14,111,616.12
योग (A)		87,673,586.79	78,007,756.57

जवाबदारी	निर्धारित कार्यक्रम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय:			
स्थापना व्यय	XIV	54,920,543.00	50,571,919.00
प्रशासनिक व्यय	XV	24,571,196.33	25,140,001.25
मूल्यहास (अनुसूची 5 के अनुरूप)	V	2,626,031.72	2,406,685.27
योग (B)		82,116,771.05	78,118,605.52
		5,556,815.74	(110,848.95)

अनुसूची 16 के हिसाब से महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और नोट्स हैं।

इस तारीख पर हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एस.एल. खाब्या एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एफआरएन 000004 सी

सही

सीए सुमित खाब्या, भागीदार

मैबरशिप नं. 414887

स्थान : भोपाल

दिनांक : 31.7.2019

सही

प्राचार्य

होटल प्रबंध संस्थान

भोपाल

**होटल प्रबंध संस्थान खानपान तकनीक एवं पोषाहार
बैलेंस शीट और आय का हिस्सा बनाने के अनुसूची
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय खाता**

अनुसूची-16: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणी।

1. **लेखा परम्परा:**
खातों को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एक ऐतिहासिक परिपाटी के रूप में ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किया जाता है।
2. **राजस्व मान्यता:**
संस्थान लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करता है और नकदी के आधार पर पेंशन भुगतान को छोड़कर अर्जित आधार पर आय और व्यय को मान्यता देता है। निर्दिष्ट निधि के खिलाफ चिह्नित एफडीआर पर अर्जित ब्याज को संबंधित फंड खाते में जमा नहीं किया गया है, इसके उपरान्त उन्हें लाभ और हानि खाते से गुजरना पड़ता है।
3. **ग्रेच्युटी:**
संस्थान ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एलआईसी समूह ग्रेच्युटी स्कीम के तहत निर्णय लिया है। 31.03.2019 एलआईसी में जमा ग्रेच्युटी मूल्य रु. 1,79,35,343.17
4. **छुट्टी नगदीकरण:**
संस्थान ने 31 दिसंबर 2014 को किए गए गणना के अनुसार छुट्टी नकद की देयता के प्रावधान किए हैं।
5. **सामान:**
प्रबंधन द्वारा किए गए शारीरिक सत्यापन के अनुसार खाद्य सामग्री, भंडार और मुद्रित सामग्रियों के स्टॉक मूल्य पर सत्यापन किया जाता है।
6. **भविष्य निधी:**
भविष्य निधि के खातों की किताबें अलग-अलग रखी गई हैं। जीपीएफ के एफडीआर पर ब्याज की केवल टीडीएस कर निर्धारण देनदारियों को सुलझाने के लिए आईएचएम के खातों की किताबों में शामिल की गई है।
7. **वृत्ति कोष:**
संस्थान के कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। संस्थान के 13 कर्मचारी, जिन्हें पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। एनपीएस के तहत कवर किया गया है। जीपीएफ फंड में उनकी जमा वापस ले ली गई है, और अब तक एनपीएस खाता में जमा की गई है। शेष कर्मचारियों के लिए, पेंशन फंड के लिए एलआईसी को 5.00 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिन्हें वर्तमान संपत्ति के तहत जमा के रूप में दिखाया गया है। उचित लेखांकन प्रभाव अर्जित ब्याज, फंडप्रबंधन शुल्क और F.Y. में देय दावों को दिया गया है। 2018-19



संस्थान सरकार, पर्यटन और नागरिक उद्योग मंत्रालय, खानपान प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली और राज्य सरकार के जनशक्ति योजना विभाग द्वारा स्थापित किया गया है।

9. **अचल संपत्तियाँ:**

संस्थान के वित्तीय वर्ष 2004-2005 में अचल सम्पत्ति पर मूल्यहास प्रभार करना शुरू कर दिया है। 31.03.2004 तक मूल्यहास संबंधित पूंजी निधि खातों पर लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2004-2005 से WDV विधि पर मूल्यहास से आय और व्यय खाते पर शुल्क लिया गया। 31.03.2004 तक मूल्यहास कटौती के बाद लागत की शेष राशि में निश्चित संपत्तियां बताई गई हैं।

10. **मूल्यहास निधी:**

पर्यटन और नागरिक उद्योग मंत्रालय के लेखापरीक्षा नोट के अनुपालन में संस्थान ने 2004-2005 के दौरान "अधमूल्यन निधि" बनाया है। वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान लगाए गए मूल्यहास को "मूल्यहास निधि खाता" में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि 31.03.2004 तक बनाए गए निधि के लिए निधि का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई निवेश / बैंक जमा नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से बनाए गए मूल्यहास निधि के विरुद्ध निवेश के रूप में कोई निश्चित जमा राशि निर्धारित नहीं की गई है।

परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सकल ब्लॉक मूल्य पर संपत्ति दिखाते हुए मूल्यहास निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

31.03.2018 को बिलिंडा निधि-नवीकरण से खातों की पुस्तकों में पूंजीगत अचल सम्पत्ति पर मूल्यहास के बराबर राशि अचल सम्पत्ति सुरक्षित कोष से कम कर दी गई है, ताकि एएस-12 के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन सुनिश्चित किया जा सके।

11. होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड पोषण संस्थान ने 06.12.2017 दिनांक, रेग नं. सीआईटी/एक्समपेशन भोपाल / 12 एए / 2017-18/ए/ 10195 के माध्यम से छूट के लिए आयकर अधिनियम के 12 एए के पंजीकरण प्राप्त किए।
12. खरीद के आधार पर लाइट उपकरण और ग्लासवेयर खरीदे गए आय और व्यय खाते से लिया गया है।
13. प्रबंधन द्वारा एक वर्ष में खाद्य सामग्रियों और पुस्तकालय पुस्तकों के स्टॉक का शारीरिक सत्यापन आम तौर पर आयोजित किया जाता है। विसंगतियां यदि कोई हों खातों में समायोजित किया गया है।
14. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज पर प्रावधान किया गया है और वर्ष के दौरान जिम्मेदार ठहराया गया है।
15. पिछले साल के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी जरूरी हो, पुनः व्यवस्थित / पुनर्गठित किया गया है।
16. निधि के नीचे 5.00 लाख रुपये तक की अनगिनत शेष राशि के मामले में एफडीआर चिह्नित नहीं किया गया है।

**INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION
1100 Qtrs., Bhopal-462016**

Annual Report for the year 2018-2019

i. Introduction.

Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhopal is a professional educational institution sponsored by Government of India, Ministry of Tourism. The Institute came into being with effect from 01.04.1986 by upgrading the then Food Craft Institute established by Government of Madhya Pradesh in the year 1977. The Institute is situated on the beautiful Shahpura Road near Academy of Administration, PO Ravishankar Nagar, Bhopal. The Institute is fully financed by Government of India, Ministry of Tourism.

ii. Aims and Objectives

- (i) To establish and to carry on the administration and management of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition here-in-after called the 'Institute' whose function shall be:-
 - (a) 1. To provide instruction and training in all the crafts and skills, all the branches of knowledge both theoretical and applied, and all the organizational and management techniques, which are required for the efficient functioning of Hotel and Catering establishments of all kinds, as well as institutional feeding programmes in schools, industrial establishments and similar organizations.
 2. To impart instructions and training in modern and scientific techniques of Management of modern hotels and hostels.
 - (b) To undertake and to associate itself with nutritional extension and developmental works.
 - (c) To propose economy in the handling and utilization of foodstuffs.
 - (d) To assist in and associate itself with the efforts of the Central and State Governments to popularize wholesome non cereal foods, particularly protective foods, with a view to the diversification of the ordinary Indian diet and the enrichment of its nutritional contents.
 - (e) To assist in and associate itself with the attempts of food research institutions, food scientists and food technologists to find effective and acceptable means of presenting their nutritional ideas through the development of suitable recipes and the planning of menus.
 - (f) In accordance with the general policy laid down by the Central Government, to prescribe courses of instructions, hold examinations and grant certificates, diplomas, degrees and other awards to persons.
 - (g) To fix and demand such fees and other charges as may be laid down in the bye-laws.
 - (h) To establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students and members of the staff.
 - (i) To supervise and control the residence, to regulate the discipline of students of the Institute and to make arrangements for promoting their health, general welfare and cultural life.